जिला

हुक्म

वकील सरकारान हाजिर। श्रीमान एसडीएम साहब
[illegible] प्रशासनिक कार्य में व्यस्त
[illegible] दिनांक 26/7/24 को पेश हो।

26/7 बार संघ का कार्य स्थगित है। पत्रावली पूर्व आदेश
[illegible] दिनांक 6/8/24 को पेश हो।

6/8/24 वकील आर्थी हाजिर। वकील प्रार्थी अपाहिज
है RyAD नोटिस तलबाना प्रेषण किया है RyAD नोटिस
तलबाना प्रेषण हेतु पत्रावली जारी करवाकर
RyAD नोटिस प्रेषण किए पत्रावली दिनांक 27/8/24
को पेश हो। तब तक E.D. की अवधि बढ़ाई जाती
है।

27/8/24 वकील सरकारान गाजर। पत्रावली पूर्व आदेश
[illegible] दिनांक 9/10/24 को पेश हो।

9/10/24 वकील आर्थी हाजिर नहीं। वकील आर्थी
आर्थी स्वयं को एक रूम का आवंटन
लगवाई गई। परन्तु हाजिर नहीं आये।
ऐसी स्थिति में आर्थी का आवेदन
अस्वीकार व अन्य फैसले में
09 RSLP के तहत मौजूदा स्थल
पर खारिज किया जाता है पत्रावली
फैसले में शामिल होकर डाटा इन्फ्लक्ट
को अग्रिम भुगतान भेजा।

उपखण्ड अधिकारी
सपाटू

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 14:59:35 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner